न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर (राजस्थान)

रैफरेंस संख्या	रजि0 नम्बर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
15/01/2014	2014/00003	17–02–2014	17–02–2021

01– सरकार जरिये तहसीलदार (भूमिधारी) राजगढ़ जिला अलवर राज0।

–प्रार्थी

बनाम

01– बाबूलाल
02– श्रवण
03– महेन्द्र
04– सुरेश
05– सन्तु पुत्रान कन्हैया
06– मु0 पारा बेवा कन्हैया
07– रामसिंह
08– जयसिंह
09– बजरंगसिंह पुत्रान् गंगू
10– रामचन्दर
11– गोकल पुत्रान् मंगल्या
12– गोविन्दसहाय
13– रामजीलाल
14– प्रभुसिंह
15– बनेसिंह पुत्रान् बाल्या
16– राधाकिशन पुत्र सुरजा समस्त जातियान दरोगा, निवासीयान ग्राम सिटावट तहसील राजगढ़ जिला अलवर राज0।
17– सावित्री पुत्री गंगू पत्नी श्री इन्दरसिंह जाति दरोगा निवासी ग्राम खुरी तहसील दौसा जिला दौसा राज0।
18– मंजू पुत्री गंगू पत्नी रामजीवण जाति दरोगा निवासी ग्राम विशनपुरा तहसील दौसा जिला दौसा राज0।
19– रतनी देवी पुत्री बाल्या पत्नी जसवंतसिंह ग्राम डूडलाद तहसील सीकर जिला सीकर राज0।
20– मनोहर सिंह पुत्री बाल्या पत्नी मोहनसिंह ग्राम बड़ी पचेरी तहसील सुरजगढ़ जिला झून्झूनू राज0।
21– शाखा प्रबन्धक, एस.बी.बी.जे., शाखा दीबा कॉपर प्रोजेक्ट तहसील राजगढ़ जिला अलवर राज0।
22– शाखा प्रबन्धक, पी.एन.बी., शाखा टहला तहसील राजगढ़ जिला अलवर राज0।

–अप्रार्थीगण

रैफरेन्स प्रकरण अन्तर्गत धारा 82
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थितः–
01. श्री दीपक मीना
02. श्री अजय कौशिक

–राजकीय अभिभाषक
–वकील अप्रार्थी

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)

P.T.O.

—:: निर्णय ::—

तहसीलदार राजगढ ने यह रेफरेन्स पेश कर निवेदन किया कि जमाबन्दी सम्वत् 2009 से 2012 के खाता संख्या 33 के अनुसार खसरा नम्बर 114 रकबा 5.05, 117 रकबा 0.03, 123 रकबा 1.18, 124 रकबा 3.04, 127 रकबा 0.17, 128 रकबा 2.11, 129 रकबा 0.12, 130 रकबा 2.19, 131 रकबा 0.01, 132 रकबा 0.05, 133 रकबा 0.04, 134 रकबा 0.07 बीघा किता 12 रकबा 18.06 बीघा ग्राम सिटावट भूमि मंदिर श्री गोपालजी महाराज वहतमाम रामचन्दर पुत्र गोरधन जाति ब्राह्मण साकिन अलवर पुजारी के नाम दर्ज रेकॉर्ड थी। जिसमें बाल्या, कन्हैया, मंगू, रामचन्द्र पिसरान मंगल्या हिस्सा 1/2, मूल्या पिसरान रामचन्द्र हिस्सा 1/4, राधाकिशन पुत्र सुरजा, गुलजी पुत्र सेढू हिस्सा 1/4 गैरमौरूसी कृषक के रूप में दर्ज थे। जिनके बंदोबस्त संवत् 2014 से 2033 में नवीन खसरा नम्बर 133/5.05, 144/1.18, 145/3.04, 148/0.17, 149/2.11, 150/0.12, 151/2.19, 152/0.01, 153/0.05, 154/0.04, 155/0.07 कुल किता 11 रकबा 18.03 बीघा ग्राम सिटावट बने है। जिसकी खातेदारी मंदिर माफी श्री गोपाल जी महाराज वहतमाम पुजारी रामचन्द्र पुत्र गोरधन कोम ब्राह्मण के नाम दर्ज थी तथा खसरा नम्बर 133, 145, 148 से 154 में बाल्या, कन्हैया, गंगू, रामचन्द्र, गोकल पिसरान मंगला कोम दरोगा साकिन देह तथा खसरा नम्बर 155 में बाल्या, कन्हैया, गंगू, रामचन्द्र, गोकल राधाकिशन पुत्र सूजा तथा खसरा नम्बर 144 में राधेश्याम पुत्र सुजा कोम दरोगा को कृषक रूप मे दर्ज किया गया जो जमाबन्दी सवत् 2021 से 2024 तक बदस्तूर चलता आ रहा तथा उक्त वर्णित भूमि को जमाबन्दी सवत् 2025 से 2029 में गत जमाबन्दी सवत् 2021 से 2024 में उक्त कृषकों को खातेदार दर्ज कर दिया गया, जबकि मंदिर माफी भूमि पर खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते। बन्दोबस्त् सवत् 2046 से 2065 में उक्त वर्णित भूमि के नवीन खसरा नम्बर 152/0.15, 153/0.14, 154/0.13, 155/0.08, 156/0.08, 157/0.13, 158/0.12, 159/0.02, 160/0.13, 161/0.13, 162/0.22, 163/0.08, 164/0.08, 165/0.29, 166/0.17, 167/0.19, 168/0.89, 169/0.01, 170/0.05, 171/0.07, 172/0.09, 173/0.38, 174/0.45, 175/0.50है0 कुला किता 24 रकबा 4.58 है0 ग्राम सिटावट बने है। खातेदार कन्हैया की फौत होने पर इंतकाल संख्या 213 के द्वारा उनके वारिसान् अप्रार्थी सं0 1 लगा0 6 तथा खातेदार बाल्या की फौत होने पर इंतकाल सं0 103 के द्वारा उनके वारिसान् अप्रार्थी सं0 12 लगा0 15 व 19 लगा0 20 के नाम दर्ज हुआ है। मंदिर माफी की भूमि में किसी भी व्यक्ति विशेष की खातेदारी में दर्ज किया जाना नियम विरूद्ध व अवैधानिक है। मूर्ति नाबालिग शाश्वत होने के कारण उसकी भूमि पर किसी व्यक्ति को खातेदारी हक प्राप्त नहीं हो सकते। अतः ग्राम सिटावट के खसरा नम्बर 152 से 175 की भूमि मे दर्ज खातेदारों के नामों को कलमजन कर मन्दिर मूर्ति श्री गोपाल की महाराज का नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किये जाने के आदेश फरमावे।

वकील अप्रार्थी सं0 द्वारा रैफरेन्स प्रकरण मे अंकित बिन्दुओं को स्वीकार/अस्वीकार करते हुए निवेदन किया कि उपरोक्त रैफरेंस गलत तथ्यों के साथ पेश किया गया है। रैफरेंस प्रा0पत्र पर दर्ज आराजीयात् हम अप्रार्थीगण की कब्जेकाश्त खातेदारी की आराजी है तथा हम अप्रार्थीगण अपने बुजुर्गों के समय से ही आराजीयात् पर काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे है। जमाबन्दी संवत् 2021 से 2024 का हवाला देकर रैफरेंस तैयार किया गया है। जिसकी हम अप्रार्थी को कोई जानकारी नहीं हैं। उक्त रैफरेंस खिलाफ मौका व कानून एक जमाबन्दी मात्र से तैयार किया गया हैं जबकि पचास वर्ष के रेकॉर्ड में उक्त आराजी हम अप्रार्थीगण व बुजुर्गान के नाम से खातेदारी व कब्जे में दर्ज चली आ रही है। दर्ज आराजीयात् मंदिर माफी की आराजी कतैई नहीं है। रैफरेंस में यह भी दर्ज नहीं किया गया है कि उक्त आराजी किस मंदिर की जमीन थी, नहीं किसी मंदिर में किसी के द्वारा—

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज०)

P.T.O.

कोई पुजा–पाठ होने का प्रमाण मिलता है। अतः रैफरेन्स प्रा0पत्र खारिज फरमाया जावें। विद्वान वकील अप्रार्थीगण ने अपने जवाब के समर्थन में करंट दिवानी रिपोर्ट 2015 (3) पेज 119 नजिर पेश की है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया व बहस पर मनन किया। जमाबन्दी सम्वत् 2009 से 2012 में उक्त आराजी मंदिर श्री गोपालजी महाराज वहतमाम रामचन्दर पुत्र गोरधन जाति ब्राह्मण साकिन अलवर पुजारी के नाम दर्ज थी। पत्रावली में संलग्न रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। मुताबिक रिकॉर्ड जमाबन्दी सवत् 2021 से 2024 में उक्त अप्रार्थीगण सं0 1 लगा0 20 को कृषक रूप में खातेदार दर्ज कर दिया गया है तथा जमाबन्दी सवत् 2025 से 2029 एवं बन्दोबस्त सवत् 2046 से 2065 में भी उक्त अप्रार्थीगण खातेदार दर्ज अंकित है जबकि पूर्व में उक्त आराजी मंदिर श्री गोपालजी महाराज वहतमाम रामचन्दर पुत्र गोरधन जाति ब्राह्मण साकिन अलवर पुजारी के नाम थी। मूर्ति नाबालिग शाश्वत होने के कारण उसकी भूमि पर किसी व्यक्ति को खातेदारी हक प्राप्त नहीं हो सकते है।

उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र मंजूर किया जाकर उक्त भूमि हाल खसरा नम्बर 152/0.15, 153/0.14, 154/0.13, 155/0.08, 156/0.08, 157/0.13, 158/0.12, 159/0.02, 160/0.13, 161/0.13, 162/0.22, 163/0.08, 164/0.08, 165/0.29, 166/0.17, 167/0.19, 168/0.89, 169/0.01, 170/0.05, 171/0.07, 172/0.09, 173/0.38, 174/0.45, 175/0.50है0 कुला किता 24 रकबा 4.58 है0 वाके ग्राम सिटावट तहसील राजगढ जिला अलवर से अप्रार्थीगण का नाम कलमजन कर माफी मंदिर श्री गोपालजी महाराज वहतमाम रामचन्दर पुत्र गोरधन जाति ब्राह्मण साकिन अलवर के नाम दर्ज करने की अभिशंषा के साथ माननीय निबन्धक राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को भेजा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 17–02–2021 को अद्योहस्ताक्षरकर्ता द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) COURT OF THE ADDITIONAL COLLECTOR (I) अलवर (राज०)

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राजस्थान)

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज०)